संख्या : 44/2015/776/छप्पन-2015-153/2000 टी0सी0

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 18 जून, 2015

विषय :राजकीय हेलीकॉप्टर- बेल-230 वी0टी0-यू0पी0बी0 हेतु एक नये Hub Assy Part No.222-012-701-145 को क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 173/ना0उ0वि0/इंजी/बी-2/2015(पी), दिनांक 14-5-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हेलीकॉप्टर- बेल-230 वी0टी0-यू0पी0बी0 हेतु एक नये Hub Assy Part No.222-012-701-145 को क्रय करने हेतु निर्माता फर्म मैसर्स बेल हेलीकॉप्टर एशिया प्रा0लि0 सिंगापुर से प्राप्त कोटेशन संख्या- 90717586, दिनांक 6-5-2015 के आधार पर 56608-00 यू0एस0 डालर की लागत पर, जो तत्समय की विनिमय दर रूपये 65/- प्रति डालर के हिसाब से बैंक चार्जेज सहित भारतीय मुद्रा में रूपये 36,79,520/- (रूपये छत्तीस लाख उन्यासी हजार पॉच सौ बीस मात्र) होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतः राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय हेलीकॉप्टर- बेल-230 हेतु इंगित नये Hub Assy Part No.222-012-701-145 को क्रय करने हेतु रूपये 36,79,520/- (रूपये छत्तीस लाख उन्यासी हजार पॉच सौ बीस मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 36,79,520/- (रूपये छत्तीस लाख उन्यासी हजार पॉच सौ बीस मात्र) का भुगतान मैसर्स बेल हेलीकाप्टर एशिया प्रा0लि0 सिंगापुर को सामान प्राप्ति के उपरान्त बिल बेसिस पर किया जायेगा।

3- उक्त हेलीकॉप्टर के प्रश्नगत नये Hub Assy Part No.222-012-701-145 क क्रय वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने एवं पाट्र्स के प्राप्त होने, उसकी स्टोर में प्रविष्टि के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण के फलस्वरूप यदि शासन को कोई हॉनि होती है तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

पृ0सं0 : 44/2015/776(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।